Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Budget Division)

New Delhi, the November 15, 2006

NOTIFICATION

Premature redemption of a part of outstanding stock of Non-interest bearing Government of India IDBI Special Security, 2024

F.No 4 (16)-W&M/2004: Government of India, hereby notifies premature redemption of Non-interest bearing Government of India IDBI Special Security, 2024 (hereinafter briefly described as "the Special Security") by exercising "call option" at par as stipulated in para 5(ii) of its Notification F.No.4 (16)-W&M/2004 dated September 29, 2004, for an aggregate amount of Rupees Six hundred and thirty seven crore (Rs.637 crore) [nominal].

2. Date of Premature Redemption

The date of premature redemption of the Special Security by the Government of India shall be the date of this notification, i.e., November 15, 2006.

3. Outstanding Stock

The outstanding stock of the Special Security shall be rupees Eight Thousand two hundred and twenty nine crore (Rs.8229 crore) [nominal] after the exercise of call option.

By Order of the President of India

(L.M. Vas)
Joint Secretary to the Government of India

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बजट प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर, 2006

अधिसूचना

निर्ब्याज भारत सरकार आईडीबीआई विशेष प्रतिभूति, 2024 के बकाया स्टॉक के एक भाग का समयपूर्व शोधन

एफ.सं0 4(16)-डब्ल्यूएंडएम/2004 : भारत सरकार सममूल्य पर "मांग विकल्प" का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निर्ब्याज भारत सरकार आईडीबीआई विशेष प्रतिभूति, 2024 (जिसे इसके बाद संक्षेप में "विशेष प्रतिभूति " के रूप में वर्णित किया गया है) का समयपूर्व शोधन अधिसूचित करती है। इसकी व्यवस्था अधिसूचना एफ.सं0 4(16)-डब्ल्यूएंडएम/2004 दिनांक 29 सितम्बर, 2004 में छह सौ सैंतीस करोड़ रूपए (637 करोड़ रूपए) (नॉमिनल) की कुल राशि के लिए की गई है।

2. समयपूर्व शोधन की तारीख

भारत सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूति की समयपूर्व शोधन की तारीख इस अधिसूचना की तारीख यानी 15 नवम्बर, 2006 होगी।

3. बकाया स्टॉक

विशेष प्रतिभूति का बकाया स्टॉक मांग विकल्प का प्रयोग करते हुए आठ हजार दो सौ उन्तीस करोड़ रूपए (8229 करोड़ रूपए) (नामिनल) होगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

एल . एम . वास

(एल0 एम0 वास)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

....